## भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय लोक सभा

## लिखित प्रश्न सं. †1672

## सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

†1672. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

- डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
- प्रो. रीता बह्गुणा जोशी:
- डॉ. सुजय विखे पाटील:
- श्री कृष्णपालसिंह यादवः
- श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
- श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) प्रसाद योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति क्या है;
- (ग) इस योजना के अंतर्गत स्थानों के चयन हेतु विचारार्थ निर्णय लेने के लिए क्या मानदण्ड हैं:
- (घ) उन तीर्थ स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है; और
- (ङ) उन स्थानों को इसमें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

- (क) और (ख) : वर्ष 2015 में प्रशाद योजना की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं और उनकी स्थिति की राज्य-वार सूची अनुबंध में दी गई है ।
- (ग) : योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गंतव्यों के चयन/चिन्हित करने के मानदंडों में गंतव्य पर पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की आवक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विरासत महत्व, गंतव्य के निवासियों की आबादी, गंतव्य पर विरासत स्मारकों की संख्या, विकास के मौजूदा

स्तर की स्थिति, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पिछली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति, गंतव्यों के चयन में अखिल भारतीय विकास हेतु समानता आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) : पर्यटन मंत्रालय के पास उन तीर्थ स्थानों की कोई सूची नहीं है जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है । योजना के अंतर्गत गंतव्यों की पहचान और परियोजनाओं का अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जाती है ।

\*\*\*\*

प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †1672 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य/ संघ	परियोजना	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त
राज्यक्षेत्र	सं.				राशि
आंध्र प्रदेश	1.	अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का पर्यटन स्थल के रूप में विकास **	2015-16	27.77	27.77
	2.	श्रीशैलम मंदिर का विकास **	2017-18	43.08	43.08
	3.	विशाखापत्तनम के सिंहचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वरीदेवस्थानम में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास	2022-23	54.04	केवल प्रशा. अनुमोदन 14.12.22
अरुणाचल प्रदेश	4.	परशुराम कुंड, लोहित जिला का विकास।	2020-21	37.88	7.34
असम	5.	गुवाहाटी और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थल का विकास **	2015-16	29.80	29.80
बिहार	6.	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास**	2014-15	4.27	2.91
	7.	पटना साहिब में विकास**	2015-16	41.54	33.23
छत्तीसगढ़	8.	मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़	2020-21	43.33	24.33
गुजरात	9.	द्वारका का विकास **	2016-17	13.08	10.46
	10.	सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाएं**	2016-17	45.36	45.36
	11.	प्रशाद योजना के तहत सोमनाथ में प्रोमेनेड का विकास**	2018-19	47.12	47.12
	12.	सोमनाथ गुजरात में क्यू मैनेजमेंट काम्प्लेक्स के साथ पिलग्रिम प्लाजा का	2021-22	49.97	केवल प्रशा. अनुमोदन

		विकास			10.03.22
	13.	बनासकांठा, गुजरात के अंबाजी मंदिर में तीर्थयात्रा पर्यटन अवसंरचना का विकास	2022-23	50.00	10.54
हरियाणा	14.	पंचकूला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मंशा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	28.77
जम्मू और कश्मीर	15.	हजरतबल में विकास,	2016-17	40.46	32.37
झारखंड	16.	बैद्यनाथजीधाम, देवघर का विकास**	2018-19	39.13	31.23
केरल	17.	गुरुवायूर मंदिर में विकास**	2016-17	45.19	45.19
	18.	ओंकारेश्वर का विकास∗∗	2017-18	43.93	43.93
मध्य प्रदेश	19.	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	4.86
महाराष्ट्र	20.	त्र्यंबकेश्वर का विकास	2017-18	52.92	27.67
मेघालय	21.	मेघालय में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	29.32	17.59
मिजोरम	22.	प्रशाद योजना के तहत मिजोरम राज्य में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन के लिए अवसंरचना का विकास	2022-23	44.88	14.12.22 को प्रशा. अनुमोदन
नागार्लंड	23.	नागालैंड में तीर्थयात्रा संबंधी अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	21.33
	24.	प्रशाद योजना के तहत जुन्हेबोटो, नागालैंड में तीर्थयात्रा और पर्यटन अवसंरचना का विकास	2022-23	18.18	4.11.22 को प्रशा. अनुमोदन
ओडिशा	25.	मेगा सर्किट के तहत पुरी, श्री जगन्नाथधाम - रामाचंडी - देउली में प्राची रिवर फ्रंट पर अवसंरचना का विकास ##	2014-15	50.00	10.00
पंजाब	26.	अमृतसर में करुणासागर वाल्मीकि स्थल का विकास **	2015-16	6.40	6.40
	27.	प्रशाद योजना के तहत रोपड़, पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57	7.26
राजस्थान	28.	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64	26.11
सिक्किम	29.	चार संरक्षक संतों, युकसोम में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास	2020-21	33.32	18.50
तमिलनाडु	30.	कांचीपुरम का विकास **	2016-17	13.99	13.99

	31.	वेल्लनकानी का विकास **	2016-17	4.86	4.86
	32.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का	2020 24	26.72	13.76
तेलंगाना		विकास	2020-21	36.73	13.76
	33.	तेलंगाना के भद्राचलम, भदाद्री			22.12.22
		कोट्टागुडम जिले में तीर्थयात्रा संबंधी	2022-23	41.38	को प्रशा.
		अवसंरचना का विकास			अनुमोदन
	34.	रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, मुलुगु में			22.12.22
		तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन संबंधी	2022-23	62.00	को प्रशा.
		अवसंरचना का विकास			अनुमोदन
त्रिपुरा	35.	त्रिपुर सुंदरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.80	21.18
1	36.	केदारनाथ का एकीकृत विकास **	2015-16	34.77	34.77
	37.	प्रशाद योजना के तहत बद्रीनाथ जी धाम	2018-19	56.13	20.79
		(उत्तराखंड) में तीर्थयात्रा सुविधा के लिए			
उत्तराखंड		अवसंरचना का विकास			
	38.	प्रशाद योजना के तहत उत्तराखंड में			
		तीर्थयात्रा संबंधी अवसंरचना सुविधाओं	2021-22	54.36	14.06
		और गंगोत्री और यमुनोत्रीधाम का संवर्धन	2014-15	10.09	10.98
	39.	मेगा टूरिस्ट सर्किट के रूप में मथुरा-			
		वृंदावन का विकास (चरण -II)**		10.98	10.98
	40.	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा	2014-15	9.36	9.36
		केंद्र का निर्माण। **			
उत्तर प्रदेश	41.	वाराणसी का विकास - चरण -1 **	2015-16	20.40	16.32
	42.	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन **	2017-18	9.02	9.02
	43.	प्रशाद योजना के तहत वाराणसी का	2017-18	44.60	31.77
		विकास – चरण II			
	44.	गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में अवसंरचना	2019 10	20.74	30.07
		सुविधाओं का विकास	2018-19	39.74	30.97
पश्चिम	45.	बेलूर का विकास	2016 17	30.03	22.20
बंगाल			2016-17	30.03	23.39
		कुल		1586.10	858.37

<sup>\*\*</sup> परियोजना का भौतिक निष्पादन पूर्ण हो गया है ।

\*\*\*\*

<sup>##</sup> निष्पादित कार्यों की सीमा तक परियोजना का निष्पादन पूर्ण घोषित ।